न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2020 / 00012 दायर दिनांक 19.02.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

नरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र मुरारीलाल बजाज, मै0 बंसल मार्केटिंग, उतरादा बाजार चूरू, जिला चूरू

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।) / 52 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।
2. श्री सुरेश कुमार कल्ला वास्ते गैरसायल।

निर्णय दिनांक 13.06.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाषित नोटिफिकेषन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेषक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेष दिनांक
2. 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेष की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.2019 को 11:25 ए.एम. पर मै0 बंसल मार्केटिंग, उतरादा बाजार चूरू, जिला चूरू पर पहुचा। वहां पर नरेन्द्र कुमार बजाज कुमार मालीक की हैसियत से पाया गया। दुकान में 115 पैकट एक बैग में **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू** बेचने हेतु पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया नरेन्द्र कुमार बजाज कों पूछनें पर बताया की खाघ पदार्थ **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू** कों बचने का कार्य करता हुं।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विकता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक नें हस्ताक्षर कर फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विकता श्री नरेन्द्र कुमार बजाज को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की प्रति न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरिक्षण करने पर खाघ पदार्थ **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू** में मिलावट की शंका होने पर **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू** की 75 ग्राम के 28 सील बन्द पैकट वास्तें जांच नमना खरीद किया । जिसकी कीमत विकता श्री नरेन्द्र कुमार बजाज को 1680/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री नागरमल एवं राजेष कुमार के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदषुदा **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू** कें 28 सील बन्द पैकट कों प्लास्टिक कें 04 जारों में 7–7 सील बन्द पैकट अलग–अलग डालकर चारों जारों के ढक्कन बन्द करकें नमूनें के चार भाग बनायें। चारों भागों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एव क्रमांक एल–2254 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण खाघ पदार्थ की किस्म, दिनांक नमूना लेने का स्थान, अंकित किए लेबल पर विकता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारों नमूना के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरषुदा पेपर स्लीप

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

नम्बर एल–2254 नियमानुसार चारों नमुना पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। नमूना के चारो भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपनें कब्जें में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर व्यापारी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवायें एवं मैनें हस्ताक्षर किये। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जिसके द्वारा मैने नमूना सील किया।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विष्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगषाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगषाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अग्रेषण पत्र क्रमांक–518 दिनांक 04.12.2019 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विष्लेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगषाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./2542/एक्ट/2019/2077 दिनांक 14.11.2019 प्राप्त हुई जिसमें विकता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू, मिसब्राण्डेड** होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मै0 बंसल मार्केटिंग कों माल खरीद का बिल पेष करनें के लिए रजिस्टर्ड पत्र लिखा गया। फर्म के मालिक नें उक्त पत्र के संबन्ध में पत्र लिखकर सूचीत किया माल खरीद का बिल मेंरे पास उपलब्ध नहीं है जो मूल पत्रावली के साथ संलग्न है।

10. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/05 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

11. यह कि उक्त प्रकरण में **नरेन्द्र कुमार बजाज** ने **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू, मिसब्राण्डेड** का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार कल्ला ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल अधिवक्ता की ओर से दिनांक 05.04.2021 को जवाब पेश किया गया व दिनांक 02.05.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान गवाह एवं जिरह करवाई तथा गैरसायल की बहस सुनी गई।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू,** का सेम्पल नं. एल–2254 रिपोर्ट संख्या एल.एस./2542/एक्ट/2019/2077 दिनांक 14.11.2019 के अनुसार **मिसब्राण्डेड** पदार्थ पाया गया है जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन हुआ है। खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ एवं गैरसायल अधिवक्ता को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू** की रिपोर्ट संख्या एल.एस./2542/एक्ट/2019/2077 दिनांक 14.11.2019 से **मिसब्राण्डेड** (Under Section 3 (1) (zf)(c)(i) of FSS Act, 2006 होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

परिवाद सं. 2020/00012
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नरेन्द्र कुमार

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को **मिसब्राण्डेड** खाद्य पदार्थ **चिकनी सुपारी ब्राण्ड बबलू** बेचने के **कारण अधिनियम की धारा-52 के अन्तर्गत गैरसायल को 2,50,000/– रूपये** (दो लाख पच्चास हजार रूपये मात्र) **की शास्ति अधिरोपित** की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू